राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 1497/2015 जिला –जयपुर

उनवान– मैसर्स मोती सन्स ज्वेलर्स लि0, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वा.क.वृत्त–एच, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल–सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया व विभाग की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह की बहस दिनांक 29.09.2015 को सुनी गई। यह अपील मय स्थगन अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"**कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 08.09.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 की धारा 38(4) के तहत वर्ष 2012–13 के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि में से रू0 65,11,269/–की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को, अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि उनके द्वारा प्रशमन हेतु प्रार्थना पत्र मय कर मुक्ति शुल्क विभाग को प्रस्तुत किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब पर विचार किये बिना ही कर मुक्ति शुल्क की बजाय 1 प्रतिशत कर व ब्याज का आरोपण किया हैं अतः ऐसी स्थिति में, प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग रू0 65,11,269/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित अपील संख्या 1235/2015/जयपुर मै0 मंगलम जैम्स, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, जयपुर व अपील संख्या 1252/2015/जयपुर मै0 आर.ए.इन्टरनेशनल, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, जयपुर निर्णय दिनांक 7.9.2015 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। विभागीय अधिवक्ता ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।	

05.10.2015

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रू0 65,11,269/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की दशा में, तीन माह तक रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

फलतः अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

5.10.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

5.10.2015

(मदन लाल)
सदस्य